निगरानी/टीए/3712/2006/झुन्झुनू
हनुमान सिंह बनाम भीमसिंह
निगरानी/टीए/3713/2006/झुन्झुनू
हनुमान सिंह बनाम भीमसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जी.बाढ़दार, अधिवक्ता अप्रार्थी।

आदेश दि0 23.10.2024

पत्रावली वास्ते अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 एवं आदेश 47 जा0दी0 में पेश हुई।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण सं0 74 व 75 दोनों को ही जिला कलक्टर ने निरस्त किये एवं प्रकरण रिमाण्ड किये थे। अति. संभागीय आयुक्त ने इन दोनों नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। नामान्तरकरण सं0 75 जो प्रताप सिंह के नाम से खुला था उसे हनुमान सिंह दर्ज कर दिया और नामान्तरकरण सं0 74 जो वास्तव में हनुमान सिंह के नाम खुला था उसे प्रताप सिंह के नाम दर्ज कर दिया जो एक लिपिकीय भूल है। वास्तव में नामान्तरकरण सं0 74 हनुमान सिंह के नाम व नामान्तरकरण सं0 75 प्रतापसिंह के नाम खुला हुआ है। उसी अनुसार निगरानी सं0 3713/2006 व 3712/2006 में संशोधन किया जाकर उसमें नामान्तरकरण सं0 75 प्रताप पुत्र धनराज के नाम और नामान्तरकरण सं0 74 हनुमान सिंह पुत्र धनराज के नाम स्वीकृत किया, अंकित किया जावें। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-04-2021 व 05-11-2019 में संशोधन किया जाकर निगरानी सं0 3712/2006 व 3713/2996 जो नामान्तरकरण सं0 75 के लिए प्रस्तुत की गई है, इसमें नामान्तरकरण सं0 75 पर प्रताप पुत्र धनराज का नाम और नामान्तरकरण सं0 74 में हनुमान पुत्र धनराज का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन अनुसार इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-04-2021व 05-11-2019 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :-

1- मण्डल के निर्णय दिनांक 15-04-2021 व 05-11-2019 में संशोधन किया जाकर निगरानी सं0 3712/2006 व 3713/2006 जो नामान्तरकरण सं0 75 के लिए प्रस्तुत की गई है, इसमें नामान्तरकरण सं0 75 पर प्रताप पुत्र धनराज का नाम और नामान्तरकरण सं0 74 में हनुमान पुत्र धनराज का नाम पढ़ा जावें।

उपरोक्त संशोधन निगरानी/टी0ए/3712/2006/झुन्झुनू शीर्षक हनुमान सिंह बनाम भीमसिंह निर्णय दिनांक 15-04-2021 व निगरानी/टी0ए/3713/2006/झुन्झुनू शीर्षक हनुमान सिंह बनाम भीमसिंह निर्णय दिनांक 05-11-2019 का ही भाग समझा जावें।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मिसल हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य